(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 225–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 61/अपील/2011–12.

....

ध्रुवनारायण रिछारिया आ0स्व0श्री रघुवरदयाल रिछारिया
निवासी खरार तहसील व जिला होशंगाबाद
हाल मुकाम हाउसिंग बोर्ड कालोनी होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद

.... आवेदक

विरूद्ध

कृष्ण कुमार उर्फ लक्ष्मीकांत आ0रेवाशंकर दीवान
निवासी ग्राम खरार तहसील व जिला होशंगाबाद

.... अनावेदक

....

श्री स्वपनिल तेलंग एवं श्री सतीश सिंह, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार होशंगाबाद द्वारा ग्राम खरार तहसील व जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 13/4 रकबा 10.90 एकड़ एवं सर्वे कमांक 10/4 रकबा 9.75 एकड़ कुल रकबा 20.65 एकड़ पर

संशोधन पंजी में प्रविष्टि क्रमांक 205 पर पारित आदेश दिनांक 5–3–1980 से आवेदक रघुवरदयाल का नामान्तरण स्वीकृत किया गया तथा बाद में सर्वे क्रमांक 13/4 एवं 10/4 को सर्वे नम्बर 22 बना दिया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–1–2009 को आदेश पारित कर सर्वे क्रमांक 22/1 रकबा 9.75 एकड़ पर अनावेदक का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–8–09 को आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत आदेश पारित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26–5–10 को आदेश पारित आयुक्त का आदेश यथावत् रखा गया । तदानुसार आयुक्त के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–11–11 को आदेश पारित कर संशोधन पंजी पर पारित आदेश दिनांक 5–3–80 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को भेजा गया कि सर्वे नम्बर 22/1 रकबा 9.75 एकड़ पर अनावेदक का नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–11–15 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में सम्पूर्ण भूमि रकबा 20.65 एकड़ को चुनौती दी गई है जिसका उसे अधिकार नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि में अन्य व्यक्ति भी हितधारी है और जिनके द्वारा आवेदक के पक्ष में हुये नामान्तरण को न

तो कभी चुनौती दी गई है और न ही उसके संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है ।

(2) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को 28 वर्ष पश्चात् चुनौती दी गई है जो कि अत्यन्त अवधि बाह्य कार्यवाही है ।

(3) आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक पक्षकार नहीं था, इसलिये अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिये थी ।

(4) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को गुमराह करने के उद्देश्य से संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि सुधार करने का आदेश देने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक भूमिस्वामी है और वर्ष 1980 में अभिलिखित भूमि की सहमति से उसके नाम की प्रविष्टी की गई है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना पटवारी प्रतिवेदन बुलाये और बिना साक्ष्य के आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है जिसे स्थिर रखने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वत्व, आधिपत्य एवं अधिकार की भूमि है और आवेदक से उसका रक्त संबंधी कोई रिश्ता नहीं है और न ही प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण आवेदक के पक्ष में किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी में पारित आदेश से आवेदक का नामान्तरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई थी, क्योंकि पंजीकृत विलेख से स्वत्व का अन्तरण नहीं होता है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा पृथक पृथक खसरा नम्बरों का एक ही संशोधन पंजी के द्वारा इंद्राज किया गया है जबकि पृथक पृथक खसरा नम्बरों को अलग अलग संशोधन पंजी पर इंद्राज किया जाता है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से रकबा 10.90 का नवीन खसरा क्रमांक 22 पैदा कर दिया गया, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मूल खसरे को ही विभाजित किया जाता है, नये सर्वे नम्बर कायम नहीं किये जाते हैं ।

(5) नामान्तरण की कार्यवाही विधि अनुसार प्राप्त स्वत्व के आधार पर की जाती है, जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुये है।

(6) तहसील न्यायालय के पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है और न्याय की दृष्टि से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही भी राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, अतः इस प्रकरण में समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा पंजी पर पारित नामान्तरण आदेश पूर्णत अवैधानिक आदेश है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण भूमिं पर अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिये गये हैं, जबकि 10.90 एकड़ भूमि पूर्व में विनोदकुमार के नाम दर्ज थी। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा इस बिन्दु

पर विचार नहीं किया गया कि विनोद कुमार हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि न्यायिक दृष्टि से यह आवश्यक था कि अनुविभागीय अधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अभिलेख का परिशीलन उपरांत विधिसंगत आदेश पारित करते । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर